तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18-09-19	~~प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उपस्थित।~~ प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थीगण इस न्यायालय द्वारा राजस्व अपील सं. 20/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 28.02.2017 को रिव्यु करने का निवेदन किया गया। प्रार्थना पत्र के जरिये यह भी निवेदन किया हैं कि प्रश्नगत अपील प्रकरण मे प्रार्थीगण की पर्याप्त तलबी नहीं हुई हैं जिससे प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हुई है। इस निर्णय के द्वारा प्रार्थीगण के हित प्रभावित होने से प्रश्नगत निर्णय को रिव्यु किया जाकर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जावें। इसके साथ ही यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को सद्भाविक मानते हुए प्रार्थना पत्र जानकारी होने से अन्दर मयाद शुमार करने का निवेदन किया है। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के अपील प्रकरण मे जारी सम्मन रूबरू मौतबिरान लेने से इंकार करने पर तामील कुनंदा द्वारा आबाद मकान पर चस्पा किये गये हैं। इस प्रकार प्रार्थीगण को प्रश्नगत अपील की पूर्ण जानकारी थी किन्तु जानबूझकर वे न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। यह भी निवेदन किया कि पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र विधि सम्मत नहीं हैं, क्योंकि पुर्नविलोकन प्रार्थना पत्र के आधार पर मात्र कलमी भूल (Pen mistake) को ही दुरूस्त किया जा सकता हैं, पूर्ण निर्णय को नहीं बदला जा सकता हैं। इस प्रकार यह आवेदन पत्र खारिज योग्य होने से खारिज फरमाया जावें। हमने दोनो पक्षों द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रश्नगत निर्णय से पूर्व प्रार्थीगण की पर्याप्त तलबी नहीं हुई हैं, जिसके फलस्वरूप प्रार्थीगण को जानकारी नहीं हुई हैं तथा एकपक्षीय आदेश को अपास्त कर प्रार्थीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान करने आदेश फरमावें। इस सम्बन्ध मे हमने विधिक प्रावधान 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अवलोकन किया जो निम्न प्रकार है– 229. बोर्ड तथा अन्य राजस्व न्यायालयों की पुर्नविलोकन करने की शक्ति– कोड ऑफ सिविल प्रोसेजर, 1908 के प्रावधान के अधीन– (1) बोर्ड ..... (2) बोर्ड के अतिरिक्त प्रत्येक राजस्व न्यायालय, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई डिक्री अथवा निर्णय का पुर्नाविलोकन करने के लिये सक्षम होगा। इस प्रकार पुर्नाविलोकन का प्रावधान सिविल प्रोसेजर कोर्ड के अधीन रखा गया हैं, जिसके अन्तर्गत किसी अभिलेखीय तौर पर प्रकट होने वाली भूल का सुधार करने हेतु यह धारा प्रयोज्य हैं। हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण ने अपनी तलबी पर्याप्त नहीं होने आधार प्रकट किया गया हैं जो अभिलेखीय भूल नहीं होकर पूर्ववत पीठासीन अधिकारी का निश्चय हैं। माननीय राजस्व मण्डल एवं उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों मे प्रतिपादित किया गया हैं कि रिव्यु की व्यापकता सीमित हैं। ऐसे मे हस्तगत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य मे सारहीन एवं आधारहीन होने से खारिज योग्य हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत यह प्रार्थना पत्र सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)	